



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-01052025-262820
CG-MH-E-01052025-262820

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 2025/वैशाख 10, 1947

No. 334]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 30, 2025/VAISAKHA 10, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 30 अप्रैल, 2025

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम)
(तीसरा संशोधन) विनियम, 2025

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/246.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 तथा धारा 30 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4, धारा 8क तथा धारा 31 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से नब्बवें दिन लागू होंगे।
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 में,
 - विनियम 24 में,
 - उप-विनियम (1) में, शब्दों “बोर्ड की पूर्व मंजूरी से ही की जाएगी” के बाद दिए हुए चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा;

ii. उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या किसी मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन (समाशोधन निगम) के गवर्निंग बोर्ड (शासी मंडल) में शामिल किसी निदेशक (जो स्वतंत्र निदेशक न हो / जो गैर-स्वतंत्र निदेशक हो) को किसी दूसरे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन या डिपॉज़िटरी (निक्षेपागार) में बोर्ड से पहले मंजूरी लेकर नियुक्त किया जा सकेगा, और ऐसा केवल ऐसे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन के गवर्निंग बोर्ड (शासी मंडल) द्वारा तय की गई विराम-अवधि (क्लिंग-ऑफ पीरियड) बीतने के बाद ही किया जा सकेगा।”

iii. उप-विनियम (3) में,

क. पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक आ जाएँगे, अर्थात्,-

“परंतु यह कि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन में कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद, एक लोक हित निदेशक (पब्लिक इंटररेस्ट डाइरेक्टर) को बोर्ड से पहले मंजूरी लेकर, किसी दूसरे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन या डिपॉज़िटरी में तीन वर्षों के एक और कार्यकाल के लिए, नियुक्त किया जा सकेगा, और ऐसा केवल ऐसे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन के गवर्निंग बोर्ड (शासी मंडल) द्वारा तय की गई विराम-अवधि (क्लिंग-ऑफ पीरियड) बीतने के बाद ही किया जा सकेगा:

परंतु यह और कि विराम-अवधि (क्लिंग-ऑफ पीरियड) केवल उसी मामले में लागू होगी, जहाँ लोक हित निदेशक की नियुक्ति वैसा ही कारोबार करने वाले किसी दूसरे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन में की जा रही हो।”

ख. परंतुकों के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

“स्पष्टीकरण-1: इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, शब्दों “वैसा ही कारोबार करने वाले किसी दूसरे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन” से संबंधित प्रावधान तब लागू होगा, जब किसी लोक हित निदेशक की नियुक्ति किसी एक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से किसी दूसरे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में की जाए या किसी एक मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन से किसी दूसरी मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन में की जाए।

स्पष्टीकरण-2: इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, जहाँ मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी (समनुषंगी / सब्सिडियरी) हो, वहाँ दोनों एंटीटियों को एक ही एंटीटी माना जाएगा।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./67/2025-26]

पाद टिप्पण :

1. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/41, द्वारा 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, तत्पश्चात् –
 - (क) 4 जून 2019 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/21, द्वारा
 - (ख) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा

- (ग) 8 अक्तूबर, 2020 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/32, द्वारा
- (घ) 23 मार्च, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/12, द्वारा
- (ङ) 13 अगस्त, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/44, द्वारा
- (च) 12 अगस्त, 2022 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/93, द्वारा
- (छ) 15 नवम्बर, 2022 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/104, द्वारा
- (ज) 28 फरवरी, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/124, द्वारा
- (झ) 24 जुलाई, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/139, द्वारा
- (ञ) 22 अगस्त, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/148, द्वारा
- (ट) 26 अप्रैल, 2024 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/171, द्वारा
- (ठ) 10 मई, 2024 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/174, द्वारा
- (ड) 29 जुलाई, 2024 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/196, द्वारा
- (ढ) 29 अगस्त, 2024 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/202, द्वारा
- (ण) 10 फरवरी, 2025 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2025, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/227, द्वारा
- (त) 21 मार्च, 2025 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/238, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th April, 2025

SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) (STOCK EXCHANGES AND CLEARING CORPORATIONS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/246.—In exercise of the powers conferred by sections 4, 8A and 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, read with sections 11 and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, namely, —

1. These regulations may be called the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Third Amendment) Regulations, 2025.

2. They shall come into force on the ninetieth day from the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018,

I. in regulation 24,

- i. in sub-regulation (1), after the words “prior approval of the Board”, the symbol “.” shall be substituted with the symbol “:.”;
- ii. after sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely, -
 “Provided that the non-independent director on the governing board of a recognized stock exchange or a recognized clearing corporation may be appointed in another recognized stock exchange or a recognized clearing corporation or a depository with the prior approval of the Board, only after a cooling-off period as may be specified by the governing board of such recognized stock exchange or recognized clearing corporation.”
- iii. in sub-regulation (3),
 - a. the first proviso shall be substituted with the following provisos, namely,-
 “Provided that upon the expiry of the term(s) at the recognized stock exchange or the recognized clearing corporation, a public interest director may be appointed with the prior approval of the Board for a further term of three years in another recognized stock exchange or a recognized clearing corporation or a depository, only after a cooling-off period as may be specified by the governing board of such recognized stock exchange or recognized clearing corporation:
 Provided further that the cooling-off period would be applicable only in case of appointment as a public interest director in a competing recognized stock exchange or a recognized clearing corporation:”
 - b. after the provisos, the following explanations shall be inserted, namely,-
 “Explanation 1: For the purpose of this sub-regulation, the expression “competing recognised stock exchange or recognised clearing corporation” shall be applicable in case of appointment of a public interest director from one recognised stock exchange to another recognised stock exchange or one recognised clearing corporation to another recognised clearing corporation.
 Explanation 2: For the purpose of this sub-regulation, where the recognised clearing corporation is a subsidiary of a recognised stock exchange, both the entities shall be treated as a single entity.”

BABITHA RAYUDUE, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./67/2025-26]

Footnote:

1. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 3rd October 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/41.
2. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were subsequently amended on—
 - (a) 4th June, 2019, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/21.
 - (b) 17th April, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (c) 8th October, 2020, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/32.
 - (d) 23rd March, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/12.
 - (e) 13th August, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/44.

- (f) 12th August 2022, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/93.
- (g) 15th November, 2022, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/104.
- (h) 28th February, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/124.
- (i) 24th July, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/139.
- (j) 22nd August, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Third Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/148.
- (k) 26th April, 2024, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/171.
- (l) 10th May, 2024, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/174.
- (m) 29th July, 2024, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Third Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/196.
- (n) 29th August, 2024, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Fourth Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/202.
- (o) 10th February, 2025, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/227.
- (p) 21st March, 2025, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/238.